

अंतरिम कार्यवाही दिनांक 20.03.2018

एम.जे.सी. 12 / 12

अनावेदक/जमानतदार की ओर से विधिक प्रतिनिधि दीपक सहित श्री एम.एस. यादव अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई बावत् आवेदन पत्र पर से दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

अनावेदक पक्ष की ओर से श्री एम.एस. यादव अधिवक्ता ने मेमो प्रस्तुत किया।

आवेदक/राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अनावेदक/जमानतदार की ओर से नोटिस अंतर्गत धारा 446 द0प्र0सं0 का जबाव पेश किया।

अनावेदक की ओर सूची अनुसार दस्तावेज सत्र प्र0क्र0 133/06 के आदेश की फोटो प्रति, सुदामालाल शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया, जिसे संलग्न किया गया। प्रतिलिपि आवेदक पक्ष को प्रदान की गयी।

धारा 446 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रतिभूति पत्र की राशि राजसात किये जाने के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/राज्य की ओर से एजीपी द्वारा अधिक से अधिक राशि राजसात किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकट किया गया कि सत्र प्रकरण क्रमांक 133/06 में उक्त जमानतदार से संबंधित अभियुक्त की उपस्थिति हो गयी है और प्रकरण का निराकरण हो चुका है।

जबकि अनावेदक/जमानतदार की ओर से उसके विधिक प्रतिनिधि दीपक ने कम से कम राशि राजसात किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया गया है कि संबंधित सत्र प्रकरण क्रमांक 133/06 में जमानतदार ने अभियुक्त को बेल जम्प हो जाने के बाद उसे उपस्थित करा दिया है एवं जमानतदार सुदामालाल की मृत्यु हो चुकी है एवं वह अत्यंत गरीब व्यक्ति है एवं उसे मृतक जमानतदार सुदामालाल से बहुत थोड़ी ही संपत्ति प्राप्त हुई है।

न्यायालय में पदस्थ प्रवर्तन लिपिक श्री ओमप्रकाश शर्मा ने संबंधित सत्र प्रकरण क्रमांक में अभियुक्त के उपस्थित हो जाने के पश्चात् प्रकरण का निराकरण हो जाना एवं अभियुक्त को दोषसिद्ध हो जाना बताया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुए इस प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि उक्त सत्र

प्रकरण में जमानतदार/अनावेदक सुदामालाल द्वारा अभियुक्त बंटी कुशवाह की 50000/- रुपए की जमानत दी गयी है और विचारण के दौरान अभियुक्त प्रदीप के अनुपस्थित हो जाने के बाद उक्त अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति हो गयी है तथा उक्त सत्र प्रकरण का निराकरण हो चुका है व अभियुक्त दोषसिद्ध होना बताया गया है एवं अनावेदक/जमानतदार की ओर से उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा व्यक्त किया गया है कि अनावेदक/जमानतदार सुदामालाल की मृत्यु हो चुकी है एवं वह अत्यधिक गरीब है एवं उसे मृतक जमानतदार से बहुत थोड़ी संपत्ति प्राप्त हुई है।

अतः उक्त समस्त के आलोक में न्यायहित में अनावेदक/जमानतदार सुदामालाल के 50000/- रुपए के प्रतिभूति पत्र में से शेष राशि का परिहार करते हुए 4000/- रुपए (चार हजार रुपये) की राशि राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार उसकी ओर से उक्त राशि जमा करायी जावे।

इसी समय अनावेदक/जमानतदार सुदामालाल की ओर से उसके विधिक प्रतिनिधि दीपक द्वारा राजसात की गयी राशि 4000/- रुपए रशीद क्रमांक बुक क्रमांक 11232 पर जमा करायी गयी।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से आगामी तिथि निरस्त हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज हो व प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0